दाण्डिक वाद सं०– 84/2008
सरकार बनाम रामपाल आदि
CNR No. UPMZ180014732008

न्यायालय सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढाना, मुजफ्फरनगर

उपस्थित– राहुल जायसवाल, यू०पी०–3601

दाण्डिक वाद संख्या– 84/9/2008
सरकार बनाम रामपाल आदि
मु०अ०सं०– 56/2008
धारा– 323, 506 भा०दं०सं०
थाना बुढाना, जिला मुजफ्फरनगर

दिनांकः 19.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त ओमपाल जेल से न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जुर्म इकबाल करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त से पूछने पर उसने बिना किसी दबाव प्रभाव एवं स्वतंत्र इच्छा से जुर्म स्वीकार करने के कथन किए। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह बेहद गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी अपने अपराध की संस्वीकृति करना चाहता है। अभियुक्त को उचित जुर्माने पर वाद का निस्तारण करने की कृपा करें।

अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकृति के कथन किए गए हैं। प्रार्थी अपनी स्वेच्छा से अपने जुर्म का इकबाल करता है। प्रार्थी पर कम से कम जुर्माना लगाकर उक्त वाद का निस्तारण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः अपराध संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को धारा 323, 506 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है। सजा के प्रश्न पर पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(राहुल जायसवाल)
सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बुढाना, जनपद मुजफ्फरनगर।
J.O. Code– UP03601

लंच बाद

पत्रावली लंचबाद पुनः पेश हुई। अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर लंच बाद सुना गया।

दंड के प्रश्न पर अभियुक्त द्वारा कहा गया कि वह स्वेच्छा से अपने उपरोक्त जुर्म का इकबाल करता है। वह बेहद गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी अपने अपराध की संस्वीकृति करना चाहता

Digitally signed by RAHUL JAISWAL
Date: 2026.03.26 10:46:00 IST
Reason: Confession/Judgement
Location: Civil Judge (J.D.) Budhana, Mzn.

है। अभियुक्त को उचित जुर्माने पर वाद का निस्तारण करने की कृपा करें, जबकि सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा देने का कथन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि अभियुक्त द्वारा स्वयं जुर्म स्वीकार किया है। दोषसिद्ध अत्यंत गरीब है व दैनिक मजदूरी का कार्य करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है। अभियुक्त के द्वारा जुर्म इकबाली किये जाने पर उसे धारा 323, 506 भा०दं०सं के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अतः अंतर्गत धारा 323 भा०दं०सं० के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व अंकन 500/– रुपये के अर्थदण्ड तथा अंतर्गत धारा 506 भा०दं०सं० के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व अंकन 500/– रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय के उठने तक की सजा से दण्डित किया जाना न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

दोषसिद्ध अभियुक्त ओमपाल को धारा 323 भा०दं०सं० के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व अंकन 500/– रुपये के अर्थदण्ड तथा अंतर्गत धारा 506 भा०दं०सं० के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व अंकन 500/– रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय के उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। कुल अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोषसिद्ध व्यक्ति 05 दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतेगा। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः 19.03.2026

(राहुल जायसवाल)
सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बुढाना, जनपद मुजफ्फरनगर।
J.O. Code– UP03601